प्रेस विज्ञप्ति
4/6/2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स मिंत्रा डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में फेमा के उल्लंघनों के लिए कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20.04.2026 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 15 के अंतर्गत मेसर्स मिंत्रा डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कंपाउंडिंग आदेश पारित किया है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त कंपनी के विरुद्ध फेमा, 1999 के अंतर्गत कथित उल्लंघनों के संबंध में चल रही जांच का निस्तारण हो गया है। यह आदेश निदेशालय प्रवर्तन द्वारा दी गई अनापत्ति के पश्चात् पारित किया गया है।

इस प्रकरण में प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर निदेशालय प्रवर्तन द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत निम्नलिखित उल्लंघनों के संबंध में जांच प्रारंभ की गई थी, जिनका शमन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया है–

1. विदेशी प्रतिभूति के अंतरण अथवा निर्गम संबंधी विनियम, 2004 के विनियम 15(iii) के अंतर्गत वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलंब, जिसकी राशि 42.85 करोड़ रुपये है।
2. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी वित्तीय प्रतिबद्धता, वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने से पूर्व किए जाने के कारण, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के विनियम 120/आरबी–2004 के विनियम 6(2)(iv) के उल्लंघन का मामला, जिसकी राशि 3.03 करोड़ रुपये है।

यह प्रकरण जांचाधीन था, इसी दौरान संबंधित कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 15 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त उल्लंघनों के कंपाउंडिंग हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के संदर्भ पर निदेशालय प्रवर्तन द्वारा अधिनियम की भावना के अनुरूप अनापत्ति जारी की गई। तदुपरांत, निदेशालय प्रवर्तन द्वारा दी गई अनापत्ति के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20.04.2026 के कंपाउंडिंग आदेश द्वारा उपरोक्त उल्लंघनों का शमन करते हुए 2,88,000 रुपये के एकमुश्त भुगतान पर मामले का निस्तारण किया है।